उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ / पंचम तल ,इन्दिरा भवन ,अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

पत्र संख्या– एफएस–1076 / 2015(149) **दिनांकः फरवरी , 10 ,2015**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
(हा0 / इंटी0 सेल),
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ,

विषय :– मेसर्स ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0(गोमती ग्रीन्स) द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप ,ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल–28878.58 वर्ग मीटर,जिला–लखनऊ, पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–248 / ई.ई. / एच.टी.आई.जी. / 2015,दिनॉक 15.01.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व उपनिदेशक लखनऊ,द्वारा किया गया । अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व उपनिदेशक लखनऊ की आख्या दिनॉक 09.02.2015 के अनुसार –

भवन की संरचना :–

1–कुल भूखण्ड एरिया 28878.58 वर्ग मीटर ।

2 –प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का ग्राउण्ड कबरेज 7510.42 वर्ग मीटर ।

3–प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का कुल टिपिकल कबर्ड एरिया 80384.63 वर्ग मीटर,है ।

4 –बेसमेन्ट प्रथम का कबर्ड एरिया 18698.08 वर्ग मीटर ।

5– बेसमेन्ट द्वितीय का कबर्ड एरिया 17998.11 वर्ग मीटर ।

5 –भवन की अधिकतम् उॅचाई 59.500 मीटर है ।

भवन का अधिभोग ऍव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॅाचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–भूखण्ड के सामने मानचित्र में 45 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश / निकास द्वार की चौडाई :–भवन परिसर में तीन गेट प्रस्तावित है, जिसकी प्रत्येक की चौडाई 06–06 मीटर है ।

3–सेटबैक :– प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत् है –

- अग्रभाग 15 मीटर ।
- पृष्ठभाग 15 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 15 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय 15 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में मुख्य स्टेयरकेश 1.50–1.50 मीटर चौडाई के तथा फायर स्केप 1.20–1.20 मीटर चौडाई के स्टेयरकेश मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5–रिफ्यूज एरिया का का विवरण – भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने अनिवार्य है ।

1–भूमिगत टैंक :–भूमिगत टैंक 200 के.एल. क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है ।

2–पम्प :– अन्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल0पी0 एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प,समकक्ष क्षमता का स्प्रिंकलर पम्प, डीजल चालित पम्प 2850 एल0 पी0 एम0 क्षमता एवं दो अद्द ,जॉकी पम्प 180–180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्रविधानित किया जाना अनिवार्य होगा ।

3–होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्ब,आई0एस0 –3844 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

4 –वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप अंकित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–भवन में आवश्यक नही ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– भवन के सम्पूर्ण बेसमेंट तथा जिन टावरों की ऊॅचाई 45 मीटर से अधिक है उनके समस्त तलों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग भूमिगत व टेरस टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैक :–प्रश्नगत भवन के जिन टावरों की ऊॅचाई 45 मीटर से कम है उनके टैरिस पर 25000–25000 लीटर पानी के क्षमता का टेरिस टैंक तथा जिन टावरों की ऊॅचाई 45 मीटर से अधिक है उन टावरों पर के टैरिस पर टैरिस टैक 10000–10000 लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

10–टेरिस पम्प :–प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिगं 2 एच है ।

बी 0– बेसमेंट को एन0बी0सी0 मानक के अनुसार मकैनिकली वेन्टीलेटेड किया जाना प्रस्तावित है ।

13 –एक्जिट साइनेज :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

14–पी0ए0 सिस्टम :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना अनिवार्य होगा ।

15–प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी / एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17–भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 पार्ट–04 के प्रस्तर–सी–05,सी–07,सी–08 व सी–09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

18– भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

: उपरोक्तानुसार मेर्सस ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप ,ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 28878.58 वर्ग मीटर ,जिला लखनऊ, पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित शर्तो व भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं शर्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01,सेट मानचित्र

10/2

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
उ0 प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय,

प्रतिलिपि –

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी,/ उप निदेशक लखनऊ, को उनके पत्र संख्या :प–2028 /एफ. एस–लखनऊ–14,दिनॉक.09.02.2015 के संदर्भ में अनुमोदित मानचित्र के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

2 –अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।

3– मेसर्स ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0,लखनऊ, भवन निर्माणकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।